



2026:AHC:35833

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2393/2026

जितेन्द्र कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: कपिल देव दुबे, प्रतीकधर द्विवेदी, राहुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री कपिल दुबे, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री मनीष कुमार, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे होम गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, मामला अपराध संख्या 1 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण, धारा 171, 386, 420, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 2007 की धारा 33 और दिनांक 23.01.2007 को आरोप पत्र प्रस्तुत कर रिट याचिकाकर्ता को 16.09.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसपर रिट याचिकाकर्ता ने 27.09.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसके बाद, अब, विवादित आदेश पारित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत रिट याचिकाकर्ता को 20.11.2025 को झूटी परेड करने से रोक दिया गया है।
3. उक्त आदेश पर प्रश्न उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देने की मांग की है कि इस प्रकार उन अपराधों के लिए अंतर किया जाना चाहिए जिनमें सजा 7 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से अधिक है महेश सिंह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बनाम में 18.08.2023 का सरकारी आदेश विचार के लिए आया, उत्तर प्रदेश राज्य: 2024 की रिट-
ए संख्या 16185 पर 26.09.2025 को निर्णय लिया गया और इस न्यायालय ने खंड 5, 6 और 8
को अधिकार क्षेत्र से बाहर किया था।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय
प्राधिकारी के समक्ष अपील कायम रखी जा सकेगी और उस संबंध में मामले पर विचार किया
जाएगा।

6. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, याचिका निरस्त की
जाती है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को 27.02.2026 तक क्षेत्रीय कमांडेंट के समक्ष अपील करने का
निर्देश दिया गया है और उक्त प्रस्ताव पर, अपीलीय प्राधिकारी महेश सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय को
ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय करेगा और 30.03.2026 का आदेश
पारित करेगा।

7. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को अभिलेख में लिया गया है तथा परिशिष्ट "ए" के रूप में
चिन्हित किया गया है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

राजेश